



असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

29 नवम्बर, 2016

बोडश विधान सभा

29 नवंबर, 2016 ई०

चतुर्थ सत्र

मंगलवार, तिथि

08 अग्रहायण, 1938 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय- 11.00 बजे पूर्वाहन)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

(इस अवसर पर विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आकर कुछ कहने लगे)

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, आप लोग अपनी-अपनी जगह पर जाकर तो कहिये ।

(व्यवधान)

ऐसे में तो किन्हीं की बात नहीं सुनी जा रही है ।

(व्यवधान)

अगर अलग-अलग अपनी बात कहेंगे, तब तो सुनी जायेगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 12.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

टर्न-2/सत्येन्द्र/29-11-16

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षः अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के माननीय सदस्य वेल में आकर कुछ बोलने लगे)

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप सभी अपने-अपने स्थान पर चले जायें ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन ली जाय...

अध्यक्ष : हमने इजाजत लेकर सभा की कार्यवाही प्रारंभ की है । आशा है, सभी माननीय सदस्य सहयोग करेंगे । विधायी कार्य ।

(इस अवसर पर भा0ज0पा0 के माननीय सदस्यगण सदन के बेल में आकर कुछ कहने लगे)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आसन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि विपक्ष के लोग बेल में आ रहे हैं, हमको कोई एतराज नहीं है लेकिन बेल में आधी दूरी तक ही रहें, यह मैं आसन से आग्रह करना चाहता हूँ । कंफरेंटेशन की स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिये उनको रोका जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

विधायी कार्य
राजकीय विधेयक

बिहार वित्त सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) (निरसन) विधेयक, 2016

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“बिहार वित्त सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) (निरसन) विधेयक, 2016”
को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।”

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“बिहार वित्त सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) (निरसन) विधेयक, 2016” को
पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

(इस अवसर पर सत्ता पक्ष के भी कई माननीय सदस्यगण सदन के बेल में आकर कुछ बोलने लगे)

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“बिहार वित्त सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) (निरसन) विधेयक, 2016” पर
विचार हो ।”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“बिहार वित्त सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) (निरसन) विधेयक, 2016” पर
विचार हो ।”

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूँ ।

खंड-2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“नाम इस विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

(सदन के बेल में व्यवधान जारी)

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“बिहार वित्त सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) (निरसन) विधेयक,
2016” स्वीकृत हो ।”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“बिहार वित्त सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) (निरसन) विधेयक, 2016”
स्वीकृत हो ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार वित्त सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) (निरसन) विधेयक,
2016 स्वीकृत हुआ ।

(सदन के बेल में विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा व्यवधान जारी)

बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2016

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार
विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2016” को पुरःस्थापित करने की
अनुमति दी जाय ।”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार
विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2016” को पुरःस्थापित करने की
अनुमति दी जाय ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार
विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2016” पर विचार हो ।”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2016” पर विचार हो ।”
विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूँ ।

खंड-2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।”
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-3 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।”
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।”
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।”
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“नाम इस विधेयक का अंग बने ।”
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
नाम इस विधेयक का अंग बना ।

(सदन के बेल में व्यवधान जारी)

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि
“बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार
विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2016” स्वीकृत हो ।”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि
“बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार
विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2016” स्वीकृत हो ।”
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार
विनियमन) (निरसन) विधेयक, 2016 स्वीकृत हुआ ।

(सदन के बेल में व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 29 नवम्बर, 2016 के लिये स्वीकृत निवेदनों
की कुल संख्या-50 (पचास) है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों
को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2016 को 11.00 बजे
पूर्वाहन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

.....